

FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No--- 92 57 26-152

Dated-27/2/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.295 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar (name of user agency) for Construction of Amsari-Hadisera Motor Road (purpose for diversion of forest land) inTehri Garhwal district falls within jurisdiction of Amsari, Hadisera Gaon village (s) in Gaja tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.295 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)



FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

No--- 125/26-152

Dated-2712/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.295 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar (name of user agency) for Construction of Amsari-Hadisera Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Amsari, Hadisera Gaon village (s) in Gaja tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ... annexure
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

(Full name and official seaf of the District Collector)

न्दुधर बौड़ाई)



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Tehri

Dated: 27/02/2017-

Deputy Compression Committee

जिला अधिकारी



Encl.-01

It is further certified that - Minutes of meeting of Construction of Amsari-Hadisera Motor Road, Length 2.00Km. regarding FRA is as follows:-

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.295 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Disivion Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 4 annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA hav been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid
	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	motor road is attached. Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला प्रयोक्त सदस्य टिहरी नेढ्वाल डाटी

जिला प्रचादत बार्ड 42 (जराण्डेट) वि०स्त्र0 नरेन्द्र-गर, टिहरी गढबाल समाज कल्यांग्री अधिकारी टिहरी गढ़वाल व अधिकारी

ब्रमाणीय वर्गाधिकारी बरेन्द्रनगर वन प्रकार मृनि-की-रेठी

(शन्दुषर बोड़ाई) जिला अधिकारी

(Full name and official seal of the District collector)

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

чэта- 6 95/ RA- (чы кыт)

दिनांक- 23-0- 2016

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.295 हें) आरक्षित वन भूमि, 0.00 हें। सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हें। वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.295 हें। वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 23-216 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मीराज चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री लक्ष्मीराज चौहान उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर

—अध्यक्ष

2- श्री डी०पी० बलूनी उप प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती

-सदस्य

3- श्री शेर सिंह तोमर सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर

-सदस्य / सचिव

4- श्रीमती छटांकी देवी बी०डी०सी० क्षेत्र रौन्देली

-सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 1.295 हैं0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापित्त जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापित्त जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.295 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-गना जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील–गजा जनपद टिहरी गढवाल।



कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

आज दिनांक 23 08 2014. को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान समा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.295 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:—

कम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री लक्ष्मीराज चौहान	उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर उप जिल	Dis A
2	श्री डी०पी० बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन मुनिकीरेती टिहरी	नगर
3	श्री अविनाश सिंह भवरिया	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	The special street of the stre
4	श्रीमती छटांकी देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य रौन्दें	हराका हव

उप प्रमागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रारुप-30.3

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापित प्रमाण—पत्र ग्राम पंचायत का नाम बेरनी तहसील गजा, जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (1.295 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 1.295 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन संत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बेरनी द्वारा दिनांक ! । । को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्राम पंचायत बेरनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित



प्रारुप-30.4

परियोजना का नाम:-

An - 4

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक ७/८/६ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत बेरनी/रौन्देली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
9-114		- CAMARA
1	सत्पेन्य सिंह नेती	- 2
1		2.
3	अत्रामह कोजी अनेन्द्र सिंह नेजी	K
3		gnel
(9)	गानिल सिंहन गी	Do >
	Me make months	3110hm/10 = 75
(6)	275 एत	2 मेर्ड दत
	dom.	व्या
0	र्वाषु ११२७	= 12/14
8	उत्तमदास	3-1014181
(9)	BAYDUNGE = 1	Brypinderendal
	सनीय नाजी	moneh
	वीरेन्ड्सिट नेजी	Dead
	= 210/21 = 2= 12= 12=	2 aux
	72=G 121E	And .



